रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 11, 2014/कार्तिक 20, 1936

No. 324] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 11, 2014/KARTIKA 20, 1936

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

**(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)**

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2014

**फा. सं. 4/15015/30/2011.**—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए उक्त उप-धारा (2) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजे जा सकेंगे।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

## प्रारूप विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2014 है।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में, "वसा, तेल और वसा पायसन" से संबंधित उप विनियम 2.2 में,—

(क) "एस्टरित वनस्पति वसा" से संबंधित उप-विनियम 2.2.2 में खंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह कि 27 अगस्त, 2016 से ही ट्रांस वसा अम्लों की अधिकतम सीमा भार के आधार पर 5% से अधिक नहीं होगी";

(ख) "मारग्रेन और वसा स्प्रैड" से संबंधित उप-विनियम 2.2.5 में, बेकरी और औद्योगिक मारग्रेन से संबंधित खंड (2) में उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह कि 27 अगस्त, 2016 से ही ट्रांस वसा अम्लों की अधिकतम सीमा भार के आधार पर 5% से अधिक नहीं होगी;";

(ग) "हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल" से संबंधित उप-विनियम 2.2.6 में,—

(i) खंड 1 के, उपखंड (vii) में मद (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह कि 27 अगस्त, 2016 से ही ट्रांस वसा अम्लों की अधिकतम सीमा भार के आधार पर 5% से अधिक नहीं होगी"

(ii) खंड 2 के, उपखंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह कि 27 अगस्त, 2016 से ही ट्रांस वसा अम्लों की अधिकतम सीमा भार के आधार पर 5% से अधिक नहीं होगी"

युद्धवीर सिंह मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[सं. विज्ञापन-III/4/असा./1870]

**टिप्पण:** मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना सं. तथा अंतिम संशोधन फा.सं. 5/15015/30/2012 द्वारा किया गया :

(i) फा. सं. पी.15014/1/2011-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013

(ii) फा.सं. 5/15015/30/2012 तारीख 12 जुलाई, 2013

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

### (Food Safety and Standards Authority of India)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2014

**F. No. 4/15015/30/2011.**—The following draft of certain regulation further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India, with previous approval of the Central Government, proposes to make, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 92 read with Section 16 of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required by the said sub-section (2), for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given, that, the said draft regulations shall be taken into consideration, after the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

Any objections or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft regulation within the period specified above shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

The objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002.

**Draft Regulations**

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2014.

2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in regulation 2.2 relating to 'FATS, OILS AND FAT EMULSIONS,—

(a) in sub-regulation **2.2.2** relating to 'Interesterified vegetable fat', after clause (v), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the maximum limit of trans fatty acids shall be not more than 5% by weight, on and from the 27th of August, 2016;"

(b) in sub-regulation **2.2.5** relating to 'MARGARINE AND FAT SPREADS', in clause 2 relating to Bakery and Industrial Margarine, after sub-clause (ii), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the maximum limit of trans fatty acids shall be not more than 5% by weight, on and from the 27th of August, 2016;"

(c) in sub-regulation **2.2.6** relating to 'HYDROGENATED VEGETABLE OILS',—

(i) in clause 1, in sub-clause (vii) after item (b), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the maximum limit of trans fatty acids shall be not more than 5% by weight, on and from the 27th of August, 2016;";

(ii) in clause (2), after sub-clause (a), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the maximum limit of trans fatty acids shall be not more than 5% by weight, on and from the 27th of August, 2016;"

YUDHVIR SINGH MALIK, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./1870]

**Note:—**The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F. No. 2-15015/30/2010 dated the 1st August, 2010 and subsequently amended vide notification numbers:

(i) F. No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013.

(ii) F. No. 5/15015/30/2012, dated 12th July, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.